रिकॉर्ड रखने की क्या आवश्यकताएं हैं?

आप खाद्य पदार्थों की खरीद की रसीदों के साथ-साथ उपस्थिति, परोसे गए भोजनों की संख्या, मेन्यू और तैयार किए गए खाने की मात्रा का दैनिक रिकॉर्ड रखेंगे। आम तौर पर, आप आय पात्रता के आवेदन को बनाए रखेंगे।

मुझे कब आवेदन करना चाहिए?

जब आपके पास डे केयर प्रोग्राम (Day Care Program) को संचालित करने की स्वीकृति हो और जब आप प्रतिभागियों का नामांकन करना शुरू कर रहे हों। आवेदन किसी भी समय स्वीकार किए जाते हैं।

मैं कैसे आवेदन करूं?

आवेदन का अनुरोध करने के लिए https://pns.health.ny.gov/ पर जाएं या CACFP से **1-800-942-3858** पर संपर्क करें। स्टाफ़ का एक सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए जानकारी हासिल करेगा कि आपका प्रोग्राम योग्य है या नहीं। पूरा करने के लिए आपको एक कस्टमाइज़्ड आवेदन मेल किया जाएगा।

CACFP
Child and Adult Care Food Program
New York State Department of Health

150 Broadway, Room 600
Albany, NY 12204
1-800-942-3858 (केवल न्यूयॉर्क में)
(518) 402-7251
फ़ैक्स (518) 402-7252
cacfp@health.ny.gov
health.ny.gov/CACFP

यह संस्थान एक
समान अवसर प्रदाता है।

हमें फ़ॉलो करें:
health.ny.gov
facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH

NEW YORK STATE | Department of Health

19334 (Hindi) 11/22

अच्छे पोषण का लाभ मिलता है

आपका केंद्र आपके द्वारा दिए जाने वाले भोजनों और नाश्ते के लिए भुगतान करने के पात्र हो सकता है।

CACFP
Child and Adult Care Food Program
New York State Department of Health

बाल एवं वयस्क देखभाल में भोजन प्रोग्राम

क्या आपके पास बाल देखभाल केंद्र, स्कूल के बाद होने वाली गतिविधियाँ (After School Program), आपातकालीन आश्रय या वयस्क डे केयर प्रोग्राम (Adult Day Care Program) है? क्या आप स्वास्थ्यप्रद भोजन परोसने में मदद चाहते हैं?

न्यूयॉर्क स्टेट स्वास्थ्य विभाग (New York State Department of Health) का बाल एवं वयस्क देखभाल में भोजन प्रोग्राम (Child and Adult Care Food Program, CACFP) 13 साल की उम्र तक के बच्चों (कुछ प्रोग्रामों के लिए 19 साल की उम्र तक) और देखभाल में नामांकित वयस्कों को दिए जाने वाले भोजन और नाश्ते के लिए भुगतान करता है। ज़्यादातर प्रोग्राम पात्र होते हैं – छोटे बाल देखभाल केंद्रों से लेकर बड़े सामुदायिक सेवा संगठनों तक।

CACFP के क्या लाभ हैं?

डे केयर प्रतिभागियों को परोसे जाने वाले भोजनों और/या नाश्ते के लिए मासिक तौर पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। पंजीकृत आहार विशेषज्ञ, अकाउंटेंट और दूसरे CACFP स्टाफ़ स्वास्थ्यप्रद भोजनों की योजना बनाने और प्रोग्राम की आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे।

मुझे कितनी प्रतिपूर्ति मिलेगी?

प्रतिपूर्ति की राशि परोसे गए भोजन के प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। साथ ही, कम आय वाले परिवारों को सेवा देने वाले केंद्रों को ज़्यादा प्रतिपूर्ति मिलती है।

भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं?

- **सुबह के नाश्ते** में दूध, कोई सब्ज़ी या फ़ल और कोई अनाज या ब्रेड शामिल होता है। आप हफ़्ते में तीन बार तक अनाज या ब्रेड की जगह पर मांस या मांस के विकल्प परोस सकते हैं।
- **दोपहर के भोजन** और **रात के भोजन** में दूध, ब्रेड या अनाज, मांस या मांस के विकल्प, दो सब्ज़ियां, या एक सब्ज़ी और एक फ़ल आवश्यक होते हैं।
- **नाश्ते** में निम्नलिखित में से दो शामिल होते हैं: दूध, मांस या मांस के विकल्प, ब्रेड या अनाज, एक सब्ज़ी, या एक फ़ल।

किस तरह के प्रोग्राम पात्र होते हैं?

- लाइसेंस प्राप्त बाल देखभाल केंद्र 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों या 15 साल और उससे कम उम्र के प्रवासी बच्चों की सेवा करते हैं।
- 13 साल की उम्र तक के बच्चों की सेवा करने वाले स्कूल के बाद होने वाले प्रोग्राम (After School Program) पात्र होते हैं। प्रोग्राम को लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत किया होना चाहिए या उन्हें लाइसेंसिंग/पंजीकरण से मुक्त निर्धारित किया गया होना चाहिए।
- अगर वे किसी कम आय वाले क्षेत्र में स्थित हैं, तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के किशोर बच्चों के लिए स्कूल के बाद होने वाले प्रोग्राम (After School Program) पात्र होते हैं।
- कार्यात्मक तौर पर बाधित प्रतिभागियों या 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वयस्कों की सेवा करने वाले वयस्क डे केयर प्रोग्राम (Adult Day Care Program)। वयस्क डे केयर प्रोग्राम (Adult Day Care Program) के पास उसको संचालित करने के लिए राज्य या स्थानीय एजेंसी से मंज़ूरी मिली होनी चाहिए।
- माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने वाले 19 साल तक के बच्चों की सेवा करने वाले आपातकालीन आश्रय। आश्रयों को संचालन के लिए राज्य या स्थानीय एजेंसी से मंजूरी मिली होनी चाहिए।

वे संगठन जिन्हें आंतरिक राजस्व सेवा से टैक्स-मुक्त स्थिति (आमतौर पर 501(c)(3)) दी गई है, पब्लिक स्कूल और दूसरे सरकारी निकाय पात्र संगठन हैं ।

अगर कम से कम 25% प्रतिभागी कम आय वाले हों, तो लाभकारी संगठन पात्र होते हैं।